

महिलाओं के उधमिता विकास में उधमिता विकास कार्यक्रमों के योगदान का अध्ययन करना (इन्दौर संभाग के विशेष संदर्भ में)

लखन लाल चौकसे*

सार

किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए उधमिता अतिआवश्यक तत्व है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि कोई भी देश उपलब्ध मानव संसाधनों का पूर्ण उपयोग करके ही आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। चूंकि मानव का आधा भाग महिलायें होती हैं। इसलिए कोई राष्ट्र महिलाओं की सहभागिता के बिना आर्थिक विकास का सपना पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र में आर्थिक विकास की गति को प्रोत्साहित करने में महिलाओं की भूमिका बढती जा रही है। जहां तक भारत का प्रश्न है यहां पर आदिकाल से महिलाएँ उपेक्षित रहीं हैं। उनका कार्यक्रम का दायरा घर परिवार तक सीमित रहा है। सत्यता यह है कि महिलाओं के अपने घर परिवार तक सीमित रहने के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। आज उधमिता के क्षेत्र महिलाएं प्रबंधन, संचालन व सहभागिता के क्षेत्र में तीव्र गति से सबलता प्राप्त कर रही हैं। भारत की सामाजिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं का स्थान एवं कार्यक्षेत्र घर की चारदीवारी तक सीमित है, किन्तु आदिकाल से ही वह पुरुषों से आवश्यकता पडने पर पीछे नहीं रही। विकसित देशों में महिलायें पुरुषों से आवश्यकता पडने पर पीछे नहीं रही। विकसित देशों में महिलायें पुरुषों के साथ बिना भेदभाव के कार्य करती रहती हैं, जबकि भारत जैसे विकासशील देश में प्रयासरत है। शिक्षा प्रशिक्षण एवं आवश्यक दिशा निर्देश जैसे जैसे महिलाओं में विकसित हो रहा है। क्रमशः कृषि, पशुपालन के अतिरिक्त औद्योगिक एवं तृतीयक क्षेत्रों में भी महिला श्रमिकों की भागीदारी बडी है। क्या महिलाओं में उधमिता का पर्याप्त विकास हो रहा है। इस शोध पत्र में महिलाओं के उधमिता विकास का अध्ययन किया गया है। समस्त अध्ययन के लिए इन्दौर संभाग का संदर्भ लिया गया है।।

शब्दकोश: महिला उधमिता, उधमिता विकास, उधमिता विकास कार्यक्रम, भारतीय अर्थव्यवस्था।

प्रस्तावना

उधमिता आर्थिक विकास तथा सामाजिक प्रतिष्ठा का मूल मंत्र है। उधमिता से बाहर और उधमिता के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उधमिता मानव की सभी क्रियाओं में व्याप्त है उधमिता ही वह संसाधन है जो संगठनों को उत्पादक, उद्देश्यपूर्ण एवं कार्यशील बनाता है। प्रबंध विशेषज्ञ पीटर ड्रकर लिखते हैं एक आवश्यक विशिष्ट एवं प्रमुख संस्था के रूप में उधमिता का प्रादुर्भाव समाज के इतिहास में एक केन्द्रीय घटना है। इस शताब्दी के संक्राति काल से ही कोई एक नयी संस्था, एक नया प्रभुत्व समूह इतनी तेजी से नहीं उभरा है जितना की उधमिता भूमण्डलीकरण, आर्थिक उदारीकरण एवं निजीकरण के बाद सभी समाजों में उधमिता एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में केन्द्रीय तत्व बनकर उभरा है क्यों कि उधमिता के द्वारा ही हम गरीबी बेरोजगारी व निम्न जीवन स्तर आदि समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। उधमिता के क्षेत्र में लंबे समय से पुरुषों का वर्चस्व रहा है तथा आज भी काफी सीमा तक विद्यमान है। विगत तीन दशकों में हुए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिवर्तनों के फलस्वरूप उधमिता के क्षेत्र में महिलाओं का आगमन हुआ है। महिला उधमियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार एवं निजी संस्थान विशेष रूप से प्रयत्नशील हैं। उधमिता विकास कार्यक्रम को संगठित एवं विकसित करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कई संस्थानों की स्थापना की गई है।

* शोधार्थी, वाणिज्य अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, म.प्र.।

केन्द्र सरकार की उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद लिमिटेड राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास मंडल, अखिल भारतीय लघु बोर्ड आदि संस्थाएँ कार्यरत हैं। मध्यप्रदेश सरकार की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड म.प्र.खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र म.प्र.कन्सलटेन्सी आर्गनाइजेशन लिमिटेड, उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. आदि संस्थाएँ कार्यरत हैं।

इन संस्थानों द्वारा उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से वित्तीय तकनीकी तथा प्रबंधकीय पहलुओं से संबंधित ज्ञान को प्रशिक्षणाथियों तक पहुँचाया जाता है। इसके साथ-साथ उद्यमियों को बाह्य अवसरों, सहायताओं तथा सामाजिक एवं संगठनात्मक सुविधाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाती है।

इस शोध पत्र में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में महिलाओं के उद्यमिता विकास का अध्ययन किया गया है। विभिन्न संस्थाओं के अंतर्गत – उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र., जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को शामिल किया गया है। समस्त अध्ययन के लिए इन्दौर संभाग का संदर्भ लिया गया है।

पूर्व साहित्य की समीक्षा

- इंदिरा मिश्र (2000) ने गरीब महिलाएँ एवं रोजगार पुस्तक में सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए आयोजित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं तथा महिलाओं को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं को बताया गया है। महिलाओं द्वारा सरकारी नीतियों के सही उपयोग तथा आर्थिक सशक्तीकरण के साथ महिलाओं के सुखद भविष्य का वर्णन भी किया है।
- शीला वर्मा (2011) में विकास कार्यक्रमों में जनजातीय महिलाओं पर योजनाओं के प्रभावों का अध्ययन शोध पत्र में जनजातीय महिलाओं पर विभिन्न योजनाओं के प्रभावों का अध्ययन कर बताया गया कि महिलाओं में आर्थिक विकास एवं सशक्तीकरण के लिए स्वयं की आवश्यकता तथा प्रयासों की आवश्यकता है।

उद्देश्य

स्वाधीनता के 70 वर्ष बीत जाने पर भी महिला उद्यमिता का विकास वांछित तीव्रता से नहीं हुआ है इस कमी का क्या कारण है? अतीत में हुई कमियों का पूर्ण करने के लिए क्या करना चाहिए? इस शोधपत्र में महिला के उद्यमिता विकास में महिला उद्यमिता कार्यक्रमों के योगदान पर प्रकाश डाला गया है। राष्ट्रीय राज्य एवं ग्राम स्तर पर महिला उद्यमिता के उन्नयन तथा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, एवं संस्थापक अवरोधों को पार करने के लिए इस क्षेत्र में निरंतर शोध की आवश्यकता है।

- महिला स्वरोजगार मूलकयोजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
 - महिला स्वरोजगार मूलक योजनाओं के संचालन में आने वाली समस्याओं का विश्लेषण करना।
 - महिला स्वरोजगार मूलक योजनाओं में समस्याओं के सुधार हेतु उचित सुझाव देना।
 - महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रमों हेतु सरकार द्वारा प्रदान किये गये अनुदानों की व्याख्या करना।
- महिला उद्यमियों की क्षमता, दक्षता, तथा गुणों का विकास करने उनकी व्यावसायिक श्रृंखला को मजबूत करने हेतु सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों द्वारा बनाई गई योजनाओं का अध्ययन करना।

उपकल्पना

- महिलाओं की शिक्षा का विस्तार होने से उद्यमिता के प्रति जागरूकता आयी है।
- महिलायें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग हुई हैं और समाज में उद्यमिता के जरिये विशिष्ट स्थान बनाने की ललक उनमें पैदा हुई है।
- संभाग में महिला उद्यमी मनोवृत्ति का अभाव है।
- महिलाओं उद्यमियों को ऋण एवं अन्य सुविधाओं की प्राप्ति हेतु कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

शोध प्रविधि

शोध कार्य में महिला उद्यमिता एवं महिला उद्यमिता के विकास में उद्यमिता योजनाओं से संबंधित वास्तविक एवं विश्वसनीय आँकड़ों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों को एकत्र कर पूर्ण किया गया है। प्राथमिक आँकड़ें स्वयं स्थल पर जाकर मूल स्रोतों से एकत्र किये गये हैं। जबकि द्वितीयक आँकड़ें महिला उद्यमिता एवं महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित योजनाओं हेतु विभिन्न प्रकाशित-अप्रकाशित पुस्तकों, शोध-पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, शासकीय प्रतिवेदनों आदि से एकल कर प्रयोग किये गये हैं। इसके अतिरिक्त लाइब्रेरी एवं इन्टरनेट आदि के भी आँकड़ें एवं विषय वस्तु से संबंधित स्टडी मटेरियल एकत्र करने में प्रयोग किया गया है।

तथ्यों का सारणीयन विश्लेषण एवं व्याख्या

शोधार्थी द्वारा किया गया कोई भी शोध कार्य सही अर्थों में तभी प्रभावी होते हैं, जब शोधार्थी द्वारा उस समस्या की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाये। इसके लिए यह आवश्यक है कि शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन में उपयोग किये गये समस्त शोध उपकरण द्वारा प्राप्त जानकारी को व्यवस्थित क्रम में सारणीबद्ध किया जाये। शोध क्षेत्र में इन्दौर जिले के महिला उद्यमिता एवं स्वरोजगार मूलक योजनाओं एवं आर्थिक विकास हेतु शोधार्थी ने शोध उपकरणों की सहायता ली है, जिसके द्वारा एकत्रित तथ्यों का सारणीयन विश्लेषण एवं व्याख्या द्वारा वस्तु स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की गयी है। जो इस प्रकार है-

इन्दौर जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की स्थिति

प्रदेश के अन्य जिलों की भाँति इन्दौर जिले में भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 1 अप्रैल 2008 से संचालित है। यह वास्तव में 31.03.2008 तक दो योजनाओं प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का मिश्रित स्वरूप है।

सारणी 1: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की लक्ष्य एवं पूर्ति (राशि लाख रुपये में)

वर्ष	लक्ष्य		पूर्ति	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5
2012.13	40	148.20	30	135.91
2013.14	42	158.80	39	162.10
2014.15	35	149.00	30	169.59
2015.16	39	193.10	34	188.19
2016.17	70	191.85	60	143.42
2017.18	74	205.45	62	165.18
योग	300	1046.4	255	964.39

स्रोत-जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इन्दौर (म.प्र.)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इन्दौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी विगत पाँच वर्षों के दौरान 300 में 255 हितग्राहियों द्वारा स्वरोजगार संबंधी लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों की स्थापना जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इन्दौर के माध्यम से स्थापित कर चुके हैं। जिनमें से 964.39 लाख रुपये की आर्थिक मदद बैंकों के माध्यम से प्रदाय की जा चुकी है। विगत पाँच वर्षों की लक्ष्य प्राप्ति को यदि देखा जाये तो अभी तक निर्धारित भौतिक लक्ष्यों में से 65.92 प्रतिशत औसत लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। इसी प्रकार वित्तीय प्रतिपूर्ति की लक्ष्य 95.03 रहा है।

दीन दयाल रोजगार योजना

योजना का उद्देश्य

उद्योग सेवा एवं व्यवसाय के क्षेत्र में केवल नवीन इकाइयों/गतिविधियों के माध्यम से स्वरोजगार स्थापना को प्रोत्साहन देने हेतु बैंको/वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से लक्ष्य निश्चित कर ऋण उपलब्ध कराना एवं मार्जिन मनी की सहायता अनुदान के रूप में देना।

वर्ष		लक्ष्य	उपलब्धि		
		भौतिक	वित्तीय (रु.लाख में)	भौतिक	वित्तीय(रु.लाख में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	2012.13	181	28.72	52	28.72
2.	2013.14	160	6.89	70	6.89
3.	2014.15	84	7.80	84	7.80
4.	2015.16	84	4.97	80	7.97
5.	2016.17	70	2.43	31	2.43
	2017.18	62	2.15	29	1.96
	योग	641	52.96	346	52.77

प्राप्त पाँच वर्षों के आँकड़ों से स्पष्ट है कि शासन को चाहिए कि महिला उद्यमिता ज्यादा से ज्यादा सशक्त द्वारा जिले में रखे गये 64 भौतिक लक्ष्य में से मात्र हो, क्योंकि महिला उद्यमिता के सशक्त होने से अपने 346 भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो पाई है, जबकि आप ही की कई समस्याएँ कम हो जायेगी। वित्तीय लक्ष्य एवं पूर्ति पूरे 52.77 लाख रुपये ही है।

महिला उद्यमियों की समस्याएँ

- देश का सामाजिक ढाँचा परम्परागत एवं महिला उद्यमियों के प्रति कठोर संवेदनहीन है।
- सामान्यतः महिलाओं में अपने आप निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होता है।
- भारतीय महिला उद्यमियों की प्रमुख समस्या भारतीय पुरुषों की दोहरी मानसिकता है।
- पुरुष श्रमिकों एवं कर्मचारियों के साथ काम न कर पाना।
- महिला उद्यमी कभी-कभी नवीनतम तकनीक से पूर्णतः जानकारी नहीं ले पाती है। जिससे उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है।
- भारत में महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत पुरुष की तुलना में कम है शिक्षा के अभाव में यह तकनीकी ज्ञान एवं विपणन के सम्बन्ध में सजग नहीं रह पाती जिसका विपरीत प्रभाव उनके व्यवसाय के विकास पर पड़ता है।
- महिला उद्यमियों को सामान्यतः ऋण की प्राप्ति में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

सुझाव

किसी भी योजना के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु बेहतर प्रबंध का होना अत्यंत आवश्यक है प्रबंधकीय नियंत्रण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग मानव संसाधन होता है अपने शोध के दौरान मैंने पाया कि शासन की योजनाओं को यथार्थ रूप में परिणित करने का दायित्व जिला पंचायत का अत्यधिक कार्य होता है अतः शासन को यह पहल करना

- महिला उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए महिला सशक्तीकरण के विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिये औद्योगिक परिवेश को बदलना होगा। साथ ही महिला उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की रियायतें देनी चाहिए तथा कुछ विशिष्ट उद्योगों को महिला उद्यमियों के लिये आरक्षित कर देना चाहिए।
- महिला उद्यमियों को कम ब्याज दर शाख सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
- महिला उद्यमियों को श्रेष्ठ प्रबन्धक बनाने के लिए प्रबन्धकीय शिक्षा आवश्यक है। अतः महिलाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

आज देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी की है। प्रत्येक पढा लिखा युवक/युवतियों का उद्देश्य शिक्षा पश्चात रोजगार प्राप्त करना होता है। देश के प्रत्येक शिक्षित वर्ग को शासकीय नौकरी नहीं दी जा सकती है। इसका प्रमुख कारण है शासकीय पदों का सीमित होना। ऐसी स्थिति में देश में स्वरोजगार के अवसर विकसित किए जा रहे हैं, जिससे देश के प्रत्येक नागरिक को रोजगार प्राप्त हो सकें।

भारत का वास्तविक आर्थिक विकास ग्रामीण विकास पर आधारित है, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय ग्रामों के सर्वांगीण विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अनेक विकास कार्यक्रम अपनाये गये हैं। शासन द्वारा संचालित विभिन्न रोजगार योजनाओं में से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, मध्यप्रदेश व स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अतिरिक्त स्वरोजगार प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, दीनदयाल रोजगार योजना व मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना को शोध प्रबंध का विषय बनाया गया और शोध प्रबंध को उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय प्रबंध व रोजगार दो भागों में विभक्त कर परिणाम प्राप्त किया गया है।

हमारे देश की चार राज्यों की मुख्यमंत्री भी महिला हैं। व्यापार, व्यवसाय, बैंक आदि बड़ी-बड़ी संस्थाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। महिला उद्यमी बनकर आत्मनिर्भर एवं देश के विकास में पुरुषों के बराबर सहभागी बन रही हैं। महिला उद्यमियों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक दृष्टिकोण से बड़े बदलाव की सोच रखनी चाहिए। उनको समानता का अधिकार केवल संविधान में न होकर व्यावहारिक भी होनी चाहिए तभी महिला उद्यमी स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती हैं और अपने परिवार व देश के विकास में भागीदारी निभा सकती हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. एस.के.मिश्रा बी.के.पुरी, भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिसिंग हाउस 2007
2. सिंह बी.राजेन्द्र ग्रामों का आर्थिक पुनरुद्धार, साहित्य सम्मेलन प्रयोग 1930
3. सिंह व निगम, भारतीय ग्राम्य अर्थशास्त्र, नवयुग साहित्य सदन आगरा 1971.72
4. दन्त सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था, एस.चन्द्र एवं क्र. न्यू दिल्ली 2009
5. शर्मा वीरेन्द्र प्रकाश, रिसर्च मैथोलॉजी, पंचशील प्रकाशन जयपुर 2004
6. आर.ए. दुबे, आर्थिक विकास एवं नियोजन, नेशनल पब्लिशर्स हाउस नई दिल्ली, 2006
7. जैन, डॉ. एम.के शोध विधार्थी यूनीवर्सिटी पब्लिकेशन नई दिल्ली, 2006
8. डॉ. चतुर्भुज मंमोरिया भारत का आर्थिक समस्यायें साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर 2007.08
9. डॉ. अग्रवाल के.बी- उद्यमिता विकास।
10. प्रसाद भगवान- इंटरप्राइजेज फार वूमन सोशल वेलफेयर।
11. डॉ. तिवारी अंशुल, डॉ. तिवारी संजय - महिला उद्यमिता, ओमेगा पब्लिकेशन्स दिल्ली।
12. उद्यमिता समाचार पत्र।
13. मध्य प्रदेश संदेश।
14. जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट इन्दौर (म.प्र)
15. दैनिक समाचार, दैनिक भास्कर, राज एक्सप्रेस, पत्रिका।
16. डॉ. जैन एवं शर्मा (2011) उद्यमिता के मूलाधार, रमेश बुक डिपो, जयपुर
17. डॉ. गंगोले एवं जैन (2009), उद्यमिता विकास, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
18. इंदिरा मिश्र (2000), गरीब महिलायें एवं रोजगार (पुस्तक)
19. शीला वर्मा (2011), विकास कार्यक्रमों में जनजातीय महिलाओं पर योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन (शोध पत्र)
20. उद्यमिता समाचार पत्र, उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. भोपाल
21. स्वरोजगार मार्गदर्शिका, उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र.भोपाल

